भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1005

गुरुवार, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 (शक)

सड़क दुर्घटनाएं

1005. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरियाः

श्रीमती रंजनबेन भट्टः

श्रीमती राम्या हरिदासः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कदम उठाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने ऑटो निर्माताओं से सुरक्षित डिजाइन की तरफ कार्य करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयास के रूप में टायरों में सिलिकॉन का प्रयोग करने का प्रयास करने को कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार राज्यों, निजी ऑपरेटरों और वाणिज्य-वाहन ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले वाहनों में चालकों और उनके सहायकों का यात्रा-पूर्व और यात्रा के पश्चात अल्कोहल परीक्षण आवश्यक कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): जी, नहीं। मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से कलैंडर वर्ष आधार पर निर्धारित फॉर्मेट में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े/सूचना एकत्र की जाती है। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सड़क दुर्घटनाओं के नवीनतम आंकडे कलैंडर वर्ष 2017 के हैं। कलैंडर वर्ष 2017 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 3.3% की कमी हुई है और चोटों की संख्या में 4.8% की कमी आई है।

(ख): सड़क सुरक्षा एक बहु-क्षेत्रीय और बहु-आयामी मुद्दा है जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दुर्घटना की रोकथाम और नियंत्रण का मुख्य बल 4 ई पर है, अर्थात (i) शिक्षा, (ii) प्रवर्तन, (iii) इंजीनियरिंग और (iv) पर्यावरण और सड़क दुर्घटना पीड़ितों की आपातकालीन देखभाल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर यान (एमवी) अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियम (सीएमवीआर), 1989 प्रशासित किया जाता है। तथापि, इनके प्रावधानों

को राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एमवी अधिनियम, 1988 और सीएमवीआर, 1989 के प्रावधानों का सख्ती से प्रवर्तन किए जाने के लिए समय-समय पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शियां जारी की जाती रही हैं।

मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली घातकताओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति सहित अनेक उपाय किए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

i सरकार ने राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसका नाम "सुखद यात्रा 1033" है। इससे राजमार्ग प्रयोक्ता दुर्घटनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढों और अन्य सुरक्षा खतरों की शिकायत कर सकते हैं।

ii अभिनिर्धारित ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) में सुधार।

iii राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

iv सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है। इस नीति में विभिन्न उपाय बताए गए हैं जैसे जागरूकता संवर्धित करना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्थापित करना, कुशल परिवहन के उपयोग सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्साहित करना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन आदि का सारांश बताया गया है।

v मंत्रालय ने 4 'ई' अर्थात् शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों के लिए), प्रवर्तन और आपात परिचर्या पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है।

vi सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है।

vii राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है। राज्यीय राजमार्गों के लगभग 52,000 किमी खंडों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

viii राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

ix इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।

x वाहनों के सुरक्षा मानकों को सख्त बनाना जैसे सीट बेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि।

xi राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

xii राज्यीय सड़कों पर इंजीनियरिंग सुधार के माध्यम से अभिनिर्धारित अवस्थानों/खंडों पर दुर्घटना संभावना को न्यूनतम करने के लिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरक बनाने के एक उपाय के रूप में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों को 10% निधियों के निर्धारित आबंटन के साथ राज्यीय सड़कों पर सड़क सुरक्षा कार्य स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

xiii मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत

प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

xiv दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।

xv भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों के पहले बैच को प्रमाणित किया है।

xvi सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में जिले के माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित की है।

xvii राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक / बस चालकों के लिए नि: शुल्क नेत्र जांच शिविर और चश्मों का वितरण किया जाता है।

xviii देशभर में फैली एनएचएआई परियोजना में शामिल एनएचएआई के फिल्ड कर्मचारियों / रियायतग्राहियों / ठेकेदारों / परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता बढ़ाना।

xix माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

(ग): इस मंत्रालय ने अधिसूचना का.आ.1139 (अ), दिनांकित 28.04.2015 और का.आ.2412 (अ), दिनांकित 03.09.2015 जारी की है जिसमें केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में संशोधन के लिए निम्नलिखित दुर्घटना संबंधी मानक अधिसूचित किए गए हैं:-

i. ओफ़सेट फ्रंटल कोलिजन (सामने से टक्कर) के समय सवारियों के बचाव के लिए समय-समय पर यथा संशोधित ऑटोमोटिव उद्योग मानक 098-2008 को 1 अक्तूबर, 2017 से नए मॉडलों के लिए तथा 1 अक्तूबर, 2019 से सभी मॉडलों के लिए अनिवार्य किया जाएगा।

ii. लेटरल कोलिजन (पीछे से टक्कर) के समय सवारियों के बचाव के लिए सभी यात्री कारों के लिए साइड डोर प्रभाव हेतु समय-समय पर यथा संशोधित ऑटोमोटिव उद्योग मानक 099-2008 को 1 अक्तूबर, 2018 से नए मॉडलों के लिए तथा 1 अक्तूबर, 2019 से सभी मॉडलों के लिए अनिवार्य किया जाएगा।

इसके अलावा, रोलिंग प्रतिरोध, रोड ग्रिप और दीर्घायु में सुधार के लिए टायरों के निर्माण में सिलिकॉन डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है।

(घ): जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****